रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन खतरे की जंजीर खींचने में वृद्धि, शरारती तत्वों की गतिविधियों, असम आन्दोलन, महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन, बंगाल, बिहार बंद, दुर्घटनाओं, आदि जैसे जन आन्दोलनों के कारण समय-पालन पर असर पड़ा है। इंजन के फेल होने, सिगनल फेल होने/खराबियों जैसे रेलों के नियंत्रणाधीन कारणों के अन्तर्गत और अन्य परिचालनिक विफलताओं से भी समय-पालन पर असर पड़ा है। यात्री गाड़ियों के समयपालन निष्पादन पर सभी स्तरों पर सतत निगाह रखी जाती है और गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। परिहार्य रुकौनियों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और गाड़ियों का समयबद्ध चालन सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबन्धकों को वैयक्तिक ध्यान देने के लिए निदेश दिये गये हैं। रेलों को यह निदेश दिए गए हैं कि समयपालन में अनुत्तरदायी पाये जाने वाले कर्मचारियों का पता लगाया जाये और उनके विरुद्ध तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाये। किसी विशेष मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के समयपालन में होने वाली हानि के कारणों का सम्यक विश्लेषण करने के लिए अधिकारियों का एक दल मनोनीत करने के लिए रेलों को सलाह दी गयी है ताकि तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

शरारती तत्वों की गतिविधियों, खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं तथा होज-पाइपों को अलग करने के मामलों की जांच करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

Coal loading from Khaltipur

549. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to sate:

(a) the details of coal loading from (i) Khaltipur; (ii) Old Malda; (iii) Eklakhi; (iv) Samsi; (v) Valuka Road and (vi) Harishchandrapur in Eastern|North Eastern Railway since January, 1980; and

(b) the details thereof with destination and dates?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): The information is being collected and will be placed on the table of the House.

Implementation of Supreme Courts' Order

550. SHRI BASUDEB ACHARYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what steps Government have taken to implement the order of the Supreme Court passed on October 22, 1980 in Civil appeal No. 368 of 1978 and special leave petition (Civil) No. 4232 of 1980 in regard to Railway Canteen emplyees; and

(b) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). Official certified copy of the Judgement of the Supreme Court dated 22-10-80 in Civil appeal No. 368 of 1978—Union of India and others Vs. Jaggarao and others and Civil appeal No. of 1980 arising out of SLP (C) No. 4132 of 1980—Railway Canteen Karamchari Association and others Vs. General Manager, Northern Railway and others, has been received in this office only on 16th December, 1980. The question regarding grant of benefits to the workers of the canteens in the light of the Supreme Court judgement is being considered and all possible steps are being taken to expedite the decision in this case.